रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 887]	**नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 28, 2017/कार्तिक 6, 1939**
No. 887]	**NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 28, 2017/KARTIKA 6, 1939**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2017

सं. 51 /2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 1344(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय माल और सेवाकर नियम, 2017 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय माल और सेवा कर (ग्यारहवां संशोधन) नियम, 2017 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 में,-

(i) नियम 24 के उपनियम (4) में, "31 अक्तूबर, 2017 को या उससे पहले" अंकों और शब्दों के स्थान पर, "31 दिसंबर, 2017 को या उससे पहले" अंक और शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) नियम 45 के उपनियम (3) में, "उक्त तिमाही के उत्तरवर्ती" शब्दों के पश्चात्, "या ऐसी अतिरिक्त अवधि के भीतर, जो आयुक्त द्वारा इस निमित्त अधिसूचना द्वारा विस्तारित की जाए :

परंतु राज्य कर आयुक्त या संघ राज्य क्षेत्र कर आयुक्त द्वारा अधिसूचित समय-सीमा का कोई विस्तार आयुक्त द्वारा अधिसूचित किया गया समझा जाएगा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;

(iii) नियम 96 के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर-1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमा शुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में स्वत: प्रारूपित की जाएगी ।";

(iv) नियम 96क के उपनियम (2) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किए जाएंगे किया जाएगा, अर्थात् :—

"परंतु यह कि जहां किसी कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में जावक प्रदायों के ब्यौरे प्रस्तुत करने के लिए तारीख का अधिनियम की धारा 37 के अधीन प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विस्तार किया गया है, वहां प्रदायकर्ता **प्ररूप जीएसटीआर-1** की सारणी 6क में यथा विनिर्दिष्ट निर्यातों से संबंधित जानकारी **प्ररूप जीएसटीआर- 3ख** में विवरणी प्रस्तुत कर दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत करेगा और उसे सीमाशुल्क द्वारा पदाभिहित प्रणाली को सामान्य पोर्टल द्वारा इलेक्ट्रानिक रूप से पारेषित किया जाएगा :

परंतु यह और कि पहले परंतुक के अधीन सारणी 6क में प्रस्तुत जानकारी उक्त कर अवधि के लिए **प्ररूप जीएसटीआर-1** में स्वत: प्रारूपित की जाएगी ।"

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी(पीटी.2)]

डॉ. श्रीपार्वती एस. एल. अवर सचिव

टिप्पण :- मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 3/2017-केंद्रीय कर, तारीख 19 जून, 2017 द्वारा सा.का.नि. सं. 610(अ), तारीख 19 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उसमें सा.का.नि. 1304(अ), तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 47/2017-केंद्रीय कर, तारीख 18 अक्तूबर, 2017 द्वारा अंतिम बार संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF EXCISE AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2017

No. 51/2017 – Central Tax

G.S.R.1344(E).— In exercise of the powers conferred by section 164 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, namely:-

1. (1) These rules may be called the Central Goods and Services Tax (Eleventh Amendment) Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, -

(i) in rule 24, in sub-rule (4), for the words, figures and letters "on or before 31st October, 2017", the words, figures and letters "on or before 31st December, 2017" shall be substituted;

(ii) in rule 45, in sub-rule (3), after the words "succeeding the said quarter", the words "or within such further period as may be extended by the Commissioner by a notification in this behalf:

Provided that any extension of the time limit notified by the Commissioner of State tax or the Commissioner of Union territory tax shall be deemed to be notified by the Commissioner." shall be inserted;

(iii) in rule 96, in sub-rule (2), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the

information relating to exports as specified in Table 6A of **FORM GSTR-1** after the return in **FORM GSTR-3B** has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs:

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in **FORM GSTR-1** for the said tax period.";

(iv) in rule 96A, in sub-rule (2), the following provisos shall be inserted, namely:-

"Provided that where the date for furnishing the details of outward supplies in **FORM GSTR-1** for a tax period has been extended in exercise of the powers conferred under section 37 of the Act, the supplier shall furnish the information relating to exports as specified in Table 6A of **FORM GSTR-1** after the return in **FORM GSTR-3B** has been furnished and the same shall be transmitted electronically by the common portal to the system designated by the Customs:

Provided further that the information in Table 6A furnished under the first proviso shall be auto-drafted in **FORM GSTR-1** for the said tax period."

[F. No. 349/58/2017-GST (Pt. II)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i) vide notification No. 3/2017-Central Tax, dated the 19th June, 2017, published vide number G.S.R 610 (E), dated the 19th June, 2017 and last amended vide notification No. 47/2017-Central Tax, dated the 18th October, 2017, published vide number G.S.R 1304(E), dated the 18th October, 2017.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अक्तूबर, 2017

सं. 52/2017-केंद्रीय कर

सा.का.नि.1345 (अ).—केंद्रीय सरकार, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 168 और केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 40 के उपनियम (1) के खंड (ख) के अनुसरण में भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि. 1258(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना सं. 44/2017-केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना में, "31 अक्तूबर, 2017" अंकों और शब्द के स्थान पर, "30 नवंबर, 2017" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 349/58/2017-जीएसटी (पीटी. 2)]

डा. श्रीपार्वती एस. एल., अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. 44/2017-केंद्रीय कर, तारीख 13 अक्तूबर, 2017, द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जो अधिसूचना सं. सा.का.नि. 1258(अ) तारीख 13 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th October, 2017

No. 52/2017–Central Tax

G.S.R. 1345(E).—In pursuance of section 168 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter referred to as the said Act) and clause (b) of sub-rule (1) of rule 40 of the Central Goods and Services Tax Rules, 2017, the Central Government hereby makes the following amendments in the notification number 44/2017-Central Tax, dated the 13th October, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (i), vide number G.S.R. 1258(E), dated the 13th October, 2017, namely:-

In the said notification, for the words, figures and letters "the 31st day of October, 2017", the words, figures and letters "the 30th day of November, 2017"shall be substituted.

[F. No. 349/58/2017-GST(Pt.II)]

Dr. SREEPARVATHY S. L., Under Secy.